

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 204 / 2013

तारीख रजु 18.12.2013

उनवान

कल्लाराम पुत्र निहाल सिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील
हिण्डौन सिटी जिला करौली।

-----वादी

बनाम

हरिसिंह पिसरान बगै. जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन
सिटी जिला करौली

-----प्रतिवादी (25)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- मदनमोहन शर्मा एडवोकेट


निर्णय

दिनांक 4.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर
वकालतन एक दावा ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन सिटी की भूमि
खसरनं 519,576,1243,1244,351,352,945,9971232,1236,750,1025,1026,
1027,546,575,420,439,944,1078,20,245,246,247,348,542,787,856,253,
255,708,751,752, की दावा बावत तकास्मा आराजीयात एवम घोषणा
खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए
नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादीगण के द्वारा
प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण दावा नहीं चलाना चाहते
हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 204 / 2013
कल्लाराम बनाम हरिसिंह बगै0 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर
लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

